



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक)

'अरण्य विकास भवन', 73-नेहरु रोड, देहरादून, दूरभाष : 0135-2657610, फैक्स : 0135-2655488

पत्रांक-वि०-२४५८ /१६-२-१(ख)/जलौनी आपूर्ति,

दिनांक: २० जुलाई, 2016

सेवा में,

- 1- समस्त महाप्रबन्धक,
- 2- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
- 3- समस्त प्रभागीय प्रबन्धक,

उत्तराखण्ड वन विकास निगम ।

विषय :- आपदा से मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि हेतु लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक-1860/x-2-2016-21(13)2016 दिनांक 04.07.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा निर्देश प्रदत्त किए गए हैं “राज्य में प्राकृतिक आपदा से होने वाली दुष्टनाओं में मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून द्वारा जलौनी लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए तथा जहां वन निगम के प्रकाष्ठ डिपो उपलब्ध न हो वहां पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आपदा के कारण मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि हेतु जलौनी लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।” इस शासनादेश के अनुपालन में आपके स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यद्यपि उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय की पत्र सं०-2112/दिनांक 04.07.2016 द्वारा निर्देश पूर्व प्रदत्त किए जा चुके हैं।

अतः उपरोक्त शासनादेश के अनुक्रम में आपदा से मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम, द्वारा जलौनी लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें। उक्त निःशुल्क उपलब्ध कराई गई जलौनी मात्रा की पुष्टि सम्बन्धित राजस्व /पुलिस अधिकारी से अवश्य कराई जाए। उपलब्ध कराई गई उक्त जलौनी का विवरण एक पंजिका में संलग्न विवरण के अनुरूप रखा जाए।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(एस०टी०एस०लेखा)

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :-वि०-...../उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रबन्धक/ अधिकारी, मुख्यालय, उ०व०वि०नि०, देहरादून।
2. लेखाधिकारी (मु०) उ०व०वि०नि०, देहरादून को उपरोक्त आपूर्ति की गई जलौनी के मूल्यांकन सहित लेखांकन हेतु निर्देश जारी कराए जाने के आशय से प्रेषित।
3. प्रभारी आई०टी०सेल (मु०), उ०व०वि०नि०, देहरादून।
4. पत्रावली १-शिविर।

2-गार्ड फाईल।

संलग्नक:-यथोपरि।

(एस०टी०एस०लेखा)

प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 1860 / X-2-2016-21(13)2016

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून।
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

विषय: आपदा से मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि हेतु लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध
में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मा० मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दि० 03.07.2016
को सम्पन्न बैठक के लिये गये निर्णय के क्रम में तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
देहरादून के पत्र संख्या-पी०ओ०/१४ दिनांक 04.07.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का
निदेश हुआ है कि राज्य में प्राकृतिक आपदा से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की
अंत्येष्टि हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून द्वारा जलौनी लकड़ी निःशुल्क
उपलब्ध करायी जाए तथा जहां वन विकास निगम के प्रकाष्ठ डिपो उपलब्ध न हो वहां पर
सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आपदा के कारण मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि हेतु
जलौनी लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त आदेशों का कढाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव

संख्या:- ✓ X-2-2016-21(13)2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- आयुक्त, कुमाऊं मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- गार्ड फाईल

उ०द०विभिन्नो, शिविर कार्यालय, देहरादून।
प्राप्ति क्र. ८०४९ दिनांक ॥ १२॥६

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव

प्राप्ति	दिनांक	इनामाप्ति	निर्वाजन
प्राप्ति	प्राप्ति	इनामाप्ति	निर्वाजन
प्राप्ति	प्राप्ति	इनामाप्ति	निर्वाजन
प्राप्ति	प्राप्ति	इनामाप्ति	निर्वाजन

N/CM/RM/OS

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कैट्रे एमा

आपदा से बृत्य व्यक्तियों की अल्पोष्ट हेतु उपलब्ध करायी गयी जलनी (निःशळ्क) का विवरण